संख्या– /XII–2/2016/83(03)/2013

प्रेषक,

जी0बी0ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवम् ग्रा0अभि0सेवा अनु0–2 **देहरादून दिनांक 19 दिसम्बर, 2016**

विषयः– प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त स्वीकृत रू0 109.68 लाख की वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश सं0–667/XII/2013/83(3)/2013 दि0 08 अगस्त, 2013 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 55.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासनादेश सं0–620III/XII-2/2013/83(3)/2013 दि0 11 अगस्त, 2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु रू0 8.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 तक उक्त कार्य हेतु कुल रू0 63.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0–1889/ग्रा0नि0वि0/प्रगति/2016–17 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण निर्माण विभाग के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना अनावासीय भवनों का निर्माण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये प्राविधानित आय–व्ययक में से ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु **रू0 28,19,000/–(रू0 अट्ठाईस लाख उन्नीस हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

संख्या - 1069 /XII-2/2016/83(03)/2013

Secretary, RES (S039)

शाखा - 019

अलोटमेंट आई डी - S1612190302

HOD Name - Chief Engineer RES (2231)

आवंटन पत्र दिनांक -16-Dec-2016

शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 -

800 - अन्य व्यय

03 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनावासीय भवनों का निर्माण

00 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के परिमण्डल/ प्रखण्ड के अनावासीय भवनों का निर्माण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	2181000	2819000	5000000
	2181000	**2819000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2819000